

# कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,



## झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccfdevjhk@jharkhandmail.gov.in Phone No. 0651-2481813



पत्रांक :- 01 / यो 0 ब० - 24 / 2017 - 351, दिनांक :- 08 / 03 / 2018

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

महत्वपूर्ण  
ई-मेल

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल / धनबाद वन प्रमण्डल / गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल / गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल / गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल / चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2023-24 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली 'अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण' योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत बाँस गैबियन से वृक्षारोपण एवं गैर वनभूमि पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य के लिए कुल रु 442.313 लाख (चार करोड़ बयालीस लाख एकतीस हजार तीन सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन।

प्रसंग :-

इस कार्यालय का उप आवंटन आदेश संख्या 24 / 2017-340 दिनांक 07.03.2018।

महाशय,

कृपया प्रसंगाधीन पत्र का स्मरण किया जाए, जो बाँस गैबियन के वनरोपण के आवंटन संबंधी है। प्रायः यह देखा जा रहा है कि बाँस गैबियन में किसी भी पौधे का वनरोपण कर दिया जाता है। इसके अलावा पौधे का आकार भी छोटा होता है, जबकि पौधे क्रय करने हेतु 25.00 रु 0 प्रति पौधा की दर से राशि आवंटित की जाती है।

यह सुनिश्चित किया जाए कि निविदा के माध्यम से 7 फीट के आकार के प्रसंगाधीन पत्र की कंडिका 19 में वर्णित पौधे ही लगाए जाए। निदेश की अवहेलना को गंभीरता से लिया जायेगा।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक-01 / यो 0 ब० - 24 / 2017 - 351, दिनांक- 08 / 03 / 2018

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो / मेदिनीनगर / हजारीबाग / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो / गिरिडीह / गढ़वा / चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची।